

पीठारसीन अधिकारी श्री हनुमान सिंह RTS सरदारशहर

प0सं. 05/2021 अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 सरकार बनाम बस्तीराम पुत्र बींझाराम जाति जांगिड निवासी उडसर लोडेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरु।

:—निर्णय:—

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उडसर लोडेरा ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि बस्तीराम पुत्र बींझाराम जाति जांगिड निवासी उडसर लोडेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरु द्वारा रोही मौजा उडसर लोडेरा के खसरा नं0 357 तादादी 12.90 हैक्टे. गैर मुमकिन गोचर में से 0.87 हैक्टे. भूमि पर नाजायज रूप से बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि संबंधित हल्के के भू.अ.नि. द्वारा भी की जा चुकी है।

हमने पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किया। अप्रार्थी को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। नोटिस की अप्रार्थी को विधिवत तामील हो चुकी है। तामील के प्रत्युत्तर में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शंकर दास स्वामी व प्रितम सिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब हेतु समय चाहा। न्याय हित में समय दिया जाकर आगामी तारीख पेशी 04.01.2022 मुकरर की। लेकिन निर्धारित तारीख पेशी पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।


इसी बीच अप्रार्थी व अप्रार्थी के गांव वालों ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में गठित टीम द्वारा चिन्हित किये गये अतिक्रमणों को गलत बताते हुए वादगत भूमि का पुनः सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया। हमने न्याय विभाग में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेशानुसार पुनः टीम गठित कर दुबारा सीमाज्ञान करवाया। दुबारा गठित टीम की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व गठित टीम की रिपोर्ट को सही व सारभूत बताया गया।

हनुमान सिंह  
तहसीलदार (राजस्व)  
सरदारशहर (चूरु)

रिपोर्ट प्राप्त होने के दरमियान दो तारीख पेशी गुजरने पर भी अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका तात्पर्य अप्रार्थी अधिवक्ता कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहता। जिसके फलस्वरूप हमने पत्रावली में जवाब कार्यवाई बंद कर पत्रावली को वास्ते निर्णय दिनांक 18.02.2022 में रखा।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। हल्का पटवारी रिपोर्ट, पत्रावली में उपलब्ध सारभूत तथ्यों व पुनः गठित टीम की रिपोर्ट तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बार बार तारीख दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी का ख.नं. 357 की 0.87 हैक्टे. भूमि पर अवैध कब्जा होना प्रमाणित होता है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा अप्रार्थी पर भू. राजस्व का 50 गुना अर्थात् रूपये 45 तावान अधिरोपित किया जाता है। हल्का पटवारी तावान राशि कायम कर अप्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवायें। भू.अ.नि. वृत्त जयसंगसर को आदेशित किया जाता है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(हनुमान सिंह)  
तहसीलदार  
(राजस्व)  
सारदास (हल्का)